न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 954–दो/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–2–12 पारित द्वारा तहसीलदार, तहसील सोहागपुर जिला शहडोल प्र.क. 3/अ–12/11–12.

———

उपेन्द्रधर द्विवेदी पिता श्री आदित्यधर द्विवेदी
निवासी वार्ड कल्याणपुर रोड नं. 28
पुरानी बस्ती शहडोल तहसील सोहागपुर
थाना व जिला शहडोल म.प्र. ——— आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती रानी देवी पत्नी श्री पी.डी. शर्मा,
निवासी कल्याणपुर रोड वार्ड नंबर 29
पुरानी बस्ती शहडोल जिला शहडोल म.प्र. ——— अनावेदक

———

श्री मुद्रिका विश्वकर्मा, अधिवक्ता, आवेदक.
श्री महेश अग्निहोत्री, अधिवक्ता, अनावेदक

———

:: **आदेश** ::

(आज दिनांक 06 अगस्त 14 को पारित)

———

यह निगरानी तहसीलदार, तहसील सोहागपुर जिला शहडोल के प्र.क. 3/अ–12/11–12 में पारित आदेश दिनांक 29–2–12 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम शहडोल स्थित आराजी खसरा नं. 301/1 रकबा 0.016 एवं खसरा नं. 300/3 रकबा 0.225 के सीमांकन हेतु आवेदन दिया गया । इस पर आवेदक द्वारा आपत्ति की गई । तदुपरांत अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को बिना प्रमाण के किया जाना मानते हुए निरस्त किया एवं राजस्व निरीक्षक के सीमांकन प्रतिवेदन की पुष्टि की साथ ही यह भी निर्देश दिए कि आपत्तिकर्ता/आवेदक

चाहें तो अपने भूमि का स्वतः समांकन करा सकते हैं । तहसीलदार के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3– आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से उन्हीं तर्कों को दोहराया गया है जो निगरानी मेमो में दिए गए हैं ।

4– अनावेदिका की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश की गई है ।

5– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आपत्तिकर्ता / आवेदक की आपत्ति बिना किसी प्रमाण के होने से अस्वीकार की गई है । अधीनस्थ न्यायालय ने यह पाया है कि सीमांकन आपत्तिकर्ता की उपस्थिति में होकर यह पाया गया है कि उसके द्वारा 936 वर्गफुट पर दीवाल बनाई गई है और उसके बचाव के लिए आपत्ति की जा रही है । पंचनामा, फील्डबुक, सूचना प्रदर्श–1 जो पेश किए गए हैं वे अपने स्थान पर उचित, न्यायिक और समतामय है । अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष भी विधिसम्मत है कि आपत्तिकर्ता चाहे तो अपनी भूमि का सीमांकन कराने के लिए स्वतंत्र है किंतु किसी अन्य के सीमांकन में मात्र कह देने से आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जा सकता । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का जो आदेश है उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

परिणामतः यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर